न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 04 / 2021

प्रार्थी जोगाराम पुत्र मोतीराम जाति–कलबी, निवासी–रूड़ा का गोलिया, तहसील व जिला–सांचौर	बनाम	अप्रार्थीगण 1 चौथी पत्नी पनाजी जाति–कलबी, निवासी– रूड़ा का गोलिया तहसील व जिला–सांचौर 2 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला–सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

तारीख रजु :– **13.07.2021**

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीया संख्या 1 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 02.08.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, जिसे बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा रूड़ा का गोलिया, तहसील–सांचौर में प्रार्थी की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 1154 रकबा 2.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1155 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1160 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1161 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1162 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1163 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1164 रकबा 0.07 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी जोगाराम पुत्र मोतीराम 1/6 हिस्सा, जोधाराम पुत्र पाता 1/8, तलसाराम पुत्र मोतीराम 1/6, नावी पत्नी पाता 1/8, भुराराम पुत्र पाता 1/8, भोमाराम पुत्र मोतीराम 1/6, वालाराम पुत्र पाता 1/8 कौम–कलबी, सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी की उक्त सामलाती आराजी में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है जिससे काश्त करने में प्रार्थी को कठिनाई आती है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा संख्या 1161 रकबा 0.87 हैक्टेयर के दक्षिण में अप्रार्थीया संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होते हुये भी मौके पर अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा अवरोध कारित किया हुआ है। प्रार्थी को उक्त आराजी में आवागमन करने में अप्रार्थीया संख्या 1 बाधा पैदा करता है जिससे प्रार्थी को खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थी की आराजी मौजा रूड़ा का गोलिया तहसील सांचौर के नवीन खसरा संख्या 1160, 1161 में आवागमन हेतु उक्त प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1161 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर में से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी खसरा संख्या 1159 के दक्षिण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 12:10:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

स्थित सरकारी आराजी खसरा संख्या 3005/1169 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी की आराजी में आवागमन का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में काश्त करने हेतु रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी में से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने की अवस्था में सबसे कम आराजी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 1159 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी मौजा रूड़ा का गोलिया तहसील सांचौर के नवीन खसरा संख्या 1160, 1161 में आवागमन हेतु उक्त खसरा संख्या 1160, 1161 से अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी नवीन खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर में से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार सांचौर से प्रार्थी द्वारा चाहा गया अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 1159 से रास्ता के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तथा उक्त आराजी की उप पंजियक सांचौर से डी.एल.सी मूल्य की जानकारी तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मौजा रूड़ा का गोलिया में प्रार्थी व अन्य के शामलाती खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1154, 1155, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164 के आये हुए है, तथा उक्त खेतों में आवागमन का रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1161 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता होते हुए अप्रार्थी उसके आवागमन में बाधा कारित करते है, जिससे आवागमन बाधित होने से उसे काफी कठिनाई होती है, तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के उपरोक्त खेतों में आने जाने का अन्य कोई सुविधाजनक नजदीकी रास्ता नहीं है। अतः खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर कटाण रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमावे। उक्त आराजी की नियमानुसार राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी व अन्य की शामलाती खातेदारी [illegible] हुई है, तथा खसरा संख्या 1164 प्रार्थी जोगाराम की ढाणी आई हुई है, तथा उक्त खेतों [illegible] आवागमन हेतु खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता जो चौथी देवी की खातेदारी में दर्ज है के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 1169 गोचर भूमि से खसरा संख्या 1159 में से होकर उसके खेत खसरा संख्या 1160 तक आता जाता है। अतः न्यायहीत में उचित आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षकरान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी मौजा रूड़ा का गोलिया के खाता संख्या 58 का अवलोकन करने पर खसरा संख्या 1154, 1155, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164 में बतौर खातेदार प्रार्थी जोगार व अन्य के नाम दर्ज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी मौजा रूड़ा का गोलिया के खाता संख्या 49 में खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, जो अप्रार्थीया चौथी पत्नी पना के नाम दर्ज है। तथा इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा में खसरा संख्या 1159 गैर मुमकिन रास्ता जो प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1160 व 1161 की सीमा से लगता आया हुआ दर्शित है।

भू. अभिलेख निरीक्षक धमाणा व पटवारी कारोला की मौका फर्द दिनांक 20.07.2024 के अवलोकन करने पर भी यह पाया जाता है कि प्रार्थी के उपरोक्त आराजी में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व सुविधाजनक नजदीकी रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा रूड़ा का गोलिया के खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि प्रार्थीया चौथी पत्नी पना जाति–कलबी के खाता में से कम की जाकर उक्त मौका फर्द दिनांक 20.07.2024 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 1159 रकबा 0.04 हैक्टेयर राजकीय रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार उक्त आराजी रकबा 0.04 हैक्टेयर का बाजार मूल्य रूपये 61315/– का भुगतान जरिये डी. डी. के अप्रार्थीया संख्या 1 चौथी पत्नी पना, जाति–कलबी निवासी–रूड़ा का गोलिया को अदा करें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार/वारिशान राशि प्राप्त न कर ले। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner